सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एम.आई.टी.सी.)

उधारकर्ता/ओं – और कंपनी अधिनियम, १९५६ के अंतर्गत निगमित कंपनी और रेमन हाउस, एच. टी. पारेख मार्ग, १६९, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०, में अपने पंजीकृत कार्यालय वाले हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके आगे ''एचडीएफसी'' कहलाने वाले के बीच ऋण के सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों (एम.आई.टी.सी.) पर सहमति हुई है और इस प्रकार नीचे वर्णित हैं:

१. ऋण

स्वीकृत राशि :

२. ब्याज

(i) प्रकार :

(ii) प्रभार्य ब्याज :

(iii) अधिस्थगन या अनुदान :

(iv) ब्याज का पुर्ननिर्धारण करने की तिथि :

(v) ब्याज दर में बदलाव के संचार का तरीका : एचडीएफसी भारत भर में प्रमुख समाचार पत्रों में 'प्रेस विज्ञप्ति' के माध्यम से और अपनी वेबसाइट www.hdfc.com पर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट (आर.पी.एल.आर.) में इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना देता है.

३. किस्त के प्रकार: मासिक

४. ऋण और ब्याज का पुर्नभुगतान (*)

(ए) ईएमआई की राशि:

(बी) किश्तों की कुल संख्या जहाँ ऋण समान मासिक किस्तों में प्रतिदान योग्य है:

* उधारकर्ता/ओं और एचडीएफसी के बीच निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण समझौते के संदर्भ में भिन्नता के अधीन. एचडीएफसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट (www.hdfc.com), खातों के वार्षिक विवरण, अपने कार्यालयों में प्रदर्शन और समय–समय पर सामान्य घोषणाओं के माध्यम से ब्याज दरों में होने वाले किसी बदलाव के बारे में अपने उधारकर्ताओं को सूचित रखने का प्रयास करेगा. यदि इस प्रकार का परिवर्तन ग्राहक का नुकसान करने वाला है, तो वह ६० दिनों के भीतर और बिना सूचना के अपना खाता बंद कर या किसी भी अतिरिक्त प्रभारों या ब्याज का भुगतान किए बिना इसे बदल सकता/सकती है.

५. ऋण अवधि :

६. ऋण का उद्देश्य (वह उद्देश्य जिस के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है) :

७. ऋण के लिए प्रतिभूति/जमानत (*)

ऋण की प्रतिभूति सामान्यत: वित्त पोषित की जाने वाली संपत्ति पर प्रतिभूति ब्याज और / या यथा एचडीएफसी द्वारा अपेक्षित की जा सकने वाली कोई अन्य प्रतिभूति/अंतरिम जमानत होगी.

(ए) संपत्ति विवरण :

(बी) प्रत्याभूति : प्रत्याभूति देने वाले/लोंका/के नाम (यदि कोई है) :

(सी) अन्य प्रतिभूति ब्याज (यदि कोई है) :

८. शुल्क एवं अन्य प्रभार

ए. आवेदन/ऋण की अवधि के दौरान/अस्थाई से स्थाई ब्याज में बदलने और इसके उलट भी करने के लिए परिवर्तन शुल्क और विलंबित भुगतानों के लिए अर्थदंड संबंधी शुल्क और अन्य प्रभार निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	उत्पाद/सेवा का नाम	भारित शुल्क/प्रभार का नाम	कब देय	आवृत्ति	राशि रुपए में
१ ए	वेतनभोगी, स्वरोजगार में संलग्न पेशेवरों के लिए गृह/विस्तार/सुधार/पुन: ऋण/भूखंड ऋण के लिए शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण की राशि के ०.५०% या रु. ३०००/– तक, जो भी अधिक हो + कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण एवं प्रभार, जैसा भी समय–समय पर लागू हो न्यूनतम प्रतिधारण राशि : रु. ३०००/–
१ बी	गैर–गृह ऋण/विस्तार/गैर–गृह ऋण का सुधार/गैर–गृह ऋण का पुन: ऋण/गैर–गृह ऋण के लिए भूखंड ऋण शुल्क (वेतनभोगी/स्व–रोजगार में संलग्न पेशेवर)	प्रसंस्करण शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण की राशि के ०.५०% या रु. ४५००/– तक, जो भी अधिक हो + कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण एवं प्रभार, जैसा भी समय–समय पर लागू हो. न्यूनतम प्रतिधारण राशि : रु. ४५००/–
२	स्वरोजगार में संलग्न गैर–पेशेवरों के लिए गृह/विस्तार/सुधार/पुन: ऋण/भूखंड ऋण के लिए शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण की राशि के १.५०% या रु. ४५००/– तक, जो भी अधिक हो + कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण एवं प्रभार, जैसा भी समय–समय पर लागू हो न्यूनतम प्रतिधारण राशि : रु. ४५००/–
३ ए	टॉप–अप ऋण के लिए शुल्क (वेतनभोगी/स्व–रोजगार में संलग्न पेशेवर)	प्रसंस्करण शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण की राशि के ०.५०% या रु. ३०००/– तक, जो भी अधिक हो + कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण एवं प्रभार, जैसा भी समय–समय पर लागू हो न्यूनतम प्रतिधारण राशि : रु. ३०००/–
३ बी	टॉप–अप ऋण के लिए शुल्क (वेतनभोगी/स्व–रोजगार में संलग्न गैर–पेशेवर)	प्रसंस्करण शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण की राशि के १.५% या रु. ४५००/– तक, जो भी अधिक हो + कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण एवं प्रभार, जैसा भी समय–समय पर लागू हो. न्यूनतम प्रतिधारण राशि : रु. ४५००/–
४	इक्विटी/गैर–आवासीय परिसर ऋणों के लिए शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण की राशि के १.५०% या रु. ४५००/– तक, जो भी अधिक हो + कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण एवं प्रभार, जैसा भी समय–समय पर लागू हो न्यूनतम प्रतिधारण राशि : रु. ४५००/–
५	एनआरआई ऋणों के लिए शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण की राशि के १.२५% या रु. ३०००/– तक, जो भी अधिक हो + कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण एवं प्रभार, जैसा भी समय–समय पर लागू हो न्यूनतम प्रतिधारण राशि : रु. ३०००/–
६	वैल्यू प्लस ऋणों के लिए शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण की राशि के १.५०% या रु. ३०००/– तक, जो भी अधिक हो + कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण एवं प्रभार, जैसा भी समय–समय पर लागू हो

क्रमांक	उत्पाद/सेवा का नाम	भारित शुल्क/प्रभार का नाम	कब देय	आवृत्ति	राशि रुपए में
७	एचडीएफसी रीच स्कीम के अंतर्गत ऋणों के लिए शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण की राशि के १.५०% + कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण एवं प्रभार, जैसा भी समय-समय पर लागू हो
८	विलंबित शुल्क प्रभार	अतिरिक्त ब्याज	उपचय पर	मासिक	चूक की राशि पर १८% प्रतिवर्ष अधिकतम
९	लागत वसूली के लिए व्यय	आकस्मिक शुल्क	हो रहे व्ययों पर		आकस्मिक शुल्क एवं व्यय प्रकरण पर लागू वास्तविक लागत, शुल्कों, व्यय एवं अन्य पैसों की वसूली के लिए भारित होते हैं.
१०	वैधानिक शुल्क	सीईआरएसएआई	अदायगी / प्रतिभूति में परिवर्तन पर	एक बार	संबंधित राज्य में लागू अनुसार
११	वैधानिक शुल्क	स्टाम्प ड्यूटी/एमओडी/एमओई	अदायगी निर्धारित करने पर	एक बार	संबंधित राज्य में लागू अनुसार
१२	परिवर्तनशील दर ऋणों में कम दर पर बदलाव (गृह/विस्तार/सुधार)	परिवर्तन शुल्क	परिवर्तन पर	प्रत्येक परिवर्तन पर	परिवर्तन के समय पर बकाया मूलधन और अदा न की गई राशि (यदि कोई है) के ०.५०% तक या केप रु. ५०००० एवं कर, जो भी कम हो.
१३	स्थाई दर ऋण से अस्थाई दर ऋण में बदलाव (गृह/विस्तार/सुधार)	परिवर्तन शुल्क	परिवर्तन पर	एक बार	परिवर्तन के समय पर बकाया मूलधन और अदा न की गई राशि (यदि कोई है) के ०.५०% तक या केप रु. ५०००० एवं कर, जो भी कम हो.
१४	ट्रूफिक्स्ड स्थाई दर से परिवर्तनील दर में बदलाव	परिवर्तन शुल्क	परिवर्तन पर	एक बार	परिवर्तन के समय पर बकाया मूलधन और अदा न की गई राशि (यदि कोई है) का १.७५% एवं कर.
१५	कम दर में बदलाव (गैर-गृह ऋण)	परिवर्तन शुल्क	परिवर्तन पर	प्रत्येक लागत-मूल्य अंतर परिवर्तन पर	बकाया मूलधन पर लागत-मूल्य अंतर का आधा एवं अदा न की गई राशि (यदि कोई हो) एवं कर, न्यूनतम ०.५% एवं अधिकतम १.५०% शुल्क के साथ
१६	कम दर में बदलाव (भूखंड ऋण)	परिवर्तन शुल्क	परिवर्तन पर	प्रत्येक लागत-मूल्य अंतर परिवर्तन पर	परिवर्तन के समय पर बकाया मूलधन और अदा न की गई राशि (यदि कोई है) का ०.५% कर.
१७	चेक / ईसीएस अनादरण शुल्क	विविध प्राप्तियाँ	चेक अनादरण पर	अनादरण की संख्या पर आधारित	रु. २००/- प्रति अनादरण
१८	प्रलेखों की फोटो कॉपी	विविध प्राप्तियाँ	घटना	प्रत्येक अनुरोध पर	रु. ५०० तक एवं कर
१९	बाहरी मत के कारण शुल्क	विविध प्राप्तियाँ	घटना		वास्तविक अनुसार
२०	प्रलेखों की सूची	विविध प्राप्तियाँ	घटना	प्रत्येक अनुरोध पर	रु. ५०० तक एवं कर
२१	पीडीसी स्वेप	विविध प्राप्तियाँ	घटना	प्रत्येक अनुरोध पर	रु. ५०० तक एवं कर
२२	अदायगी के पश्चात अदायगी चेक निरस्तीकरण शुल्क	विविध प्राप्तियाँ	घटना	प्रत्येक अनुरोध पर	रु. ५०० तक एवं कर
२३	स्वीकृति से ६ माह पश्चात ऋण का पुन: मूल्यांकन	प्रसंस्करण शुल्क	पुन: आवेदन पर	एक बार	रु. २००० एवं कर तथा वैधानिक प्रभार एवं शुल्क, जैसा समय-समय पर लागू हो
२४	ऋण अवधि में वृद्धि / कमी	प्रसंस्करण शुल्क	अनुरोध पर	एक बार	रु. ५०० एवं कर तथा वैधानिक प्रभार एवं शुल्क, जैसा समय-समय पर लागू हो

बी. फोरक्लोजर/प्री-पेमेंट पर चार्ज

1.	**ए. एडजस्टेबल रेट लोन (एआरएचएल)** **एवं** **ब्याज की परिवर्तनशील दर की उपयुक्तता की अवधि में कॉम्बिनेशन होम रेट लोन (सीआरएचएल)**	**अ) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए:** केवल व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत किये गए सभी लोन के लिए, किसी भी स्रोत से आंशिक या पूर्ण प्रीपेमेंट करने पर कोई भी प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लिया जायेगा **आ) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य के लिए:** कम्पनी/एकल स्वामित्व संस्था या फर्म या हिन्दू संयुक्त परिवार के लिए स्वीकृत लोन के लिए जिसमे सह आवेदक के रूप में हो उनके लिए: i यदि लोन प्रथम डिसबर्स्मेंट की तारीख से छ (6) महीने के अन्दर प्री पे किया जाता है, प्री-पेमेंट किये जा रहे रकम के 2% के दर से प्रीपेमेंट चार्ज,वैधानिक शुल्क एवं चार्ज तथा कर के साथ वसूल किया जायेगा ii उधारकर्ताओं को यह सुविधा होगी कि वह छ (6) महीने के बाद एवं 36 महीने के अन्दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लोन के प्रारम्भिक मूल राशि के 25% प्री-पे कर सकता है किसी भी प्री पेमेंट चार्ज के बिना. इसके लिए यह आवश्यक है कि उधारकर्ता के स्वयं के स्रोतों* से इस प्रकार का भुगतान करें. यदि 25% से अधिक कोई भी राशि किसी भी वित्तीय वर्ष में प्री-पेमेंट किया जा रहा है तो 25% से अधिक जिस राशि का प्रीपेमेंट किया जा रहा है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस राशि का 2% प्री-पेमेंट चार्ज के रूप में वसूला जायेगा. 36 महीने के बाद यदि लोन स्वयं के स्रोतों से प्री-पेमेंट किया जाता है तो कोई भी प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूला जायेगा. हालांकि लोन प्री-पेमेंट पुनः वित्तपोषित या रिफाइनेंस होने की स्थिति में, उधारकर्ता प्री-पेमेंट चार्ज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. ई) ग्राहक को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा जिनसे एचडीएफसी लोन के प्री-पेमेंट के समय धन के स्रोत का पता लगाने के लिए उपयुक्त एवं एवं यथोचित समझे. *स्वयं के स्रोत का अर्थ यहाँ बैंक/एचडीएफसी बैंक/ एनबीएफसी/ या वित्तीय संस्था के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से है. उपरोक्त प्री-पेमेंट चार्ज इस लोन अनुबंध के कार्यान्वयन के तारीख से लागु होगा, यह एचडीएफसी के निधारित नीति के अनुरूप परिवर्तन के योग्य है एवं समय के साथ साथ भिन्न हो सकता है. ग्राहकों को अनुरोध किया जाता है किवे लागु होने वाले नवीनतम प्री-पेमेंट चार्ज के लिए www.hdfc.com पर देखें.
2.	**बी. फिक्स्ड रेट लोन (एफआरएचएल)** **एवं** **ब्याज की स्थिर दर की उपयुक्तता की अवधि में कॉम्बिनेशन होम रेट लोन (सीआरएचएल)**	**अ) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए:** सभी लोन डिस्बर्स के लिए, 2% के दर से प्रीपेमेंट चार्ज वसूला जायेगा, किसी भी बैंक/ एचएफसी/एनबीएफसी या वित्तीय संस्था (किसी भी वित्तीय वर्ष में सभी राशियां जो प्री-पे किये जा रहे है शामिल होंगे) से रिफाइनेंस या पुनः वित्तपोषण के माध्यम से जो बकाया राशि प्रीपेमेंट किया जा रहे है और स्वयं के स्रोत* से नहीं किये जा रहे है उनके साथ ही उन पर लागु होने वाले कर एवं वैधानिक शुल्क तथा चार्ज भी वसूला जायेगा तथा यह सभी आंशिक एवं पूर्ण प्रीपेमेंट पर लागु होगा. **आ) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य के लिए:** कम्पनी/एकल स्वामित्व संस्था या फर्म या हिन्दू संयुक्त परिवार के लिए स्वीकृत लोन के लिए जिसमे सह आवेदक के रूप में हो उनके लिए: i यदि लोन प्रथम डिसबर्स्मेंट की तारीख से छ (6) महीने के अन्दर प्री पे किया जाता है, प्री-पेमेंट किये जा रहे रकम के 2% के दर से प्रीपेमेंट चार्ज,वैधानिक शुल्क एवं चार्ज तथा लागु होने वाले कर के साथ वसूल किया जायेगा. ii उधारकर्ताओं को यह सुविधा होगी कि वह छ (6) महीने के बाद एवं 36 महीने के अन्दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लोन के प्रारम्भिक मूल राशि के 25% प्री-पे कर सकता है किसी भी प्री पेमेंट चार्ज के बिना. इसके लिए यह आवश्यक है कि उधारकर्ता के स्वयं के स्रोतों* से इस प्रकार का भुगतान करें. यदि 25% से अधिक कोई भी राशि किसी भी वित्तीय वर्ष में प्री-पेमेंट किया जा रहा है तो 25% से अधिक जिस राशि का प्रीपेमेंट किया जा रहा है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस राशि का 2% प्री-पेमेंट चार्ज के रूप में वसूला जायेगा. 36 महीने के बाद यदि लोन स्वयं के स्रोतों से प्री-पेमेंट किया जाता है तो कोई भी प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूला जायेगा. हालांकि लोन प्री-पेमेंट पुनः वित्तपोषित या रिफाइनेंस होने की स्थिति में, उधारकर्ता प्री-पेमेंट चार्ज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. ई) ग्राहक को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा जिनसे एचडीएफसी लोन के प्री-पेमेंट के समय धन के स्रोत का पता लगाने के लिए उपयुक्त एवं एवं यथोचित समझे. *स्वयं के स्रोत का अर्थ यहाँ बैंक/एचडीएफसी बैंक/ एनबीएफसी/ या वित्तीय संस्था के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से है. उपरोक्त प्री-पेमेंट चार्ज इस लोन अनुबंध के कार्यान्वयन के तारीख से लागु होगा, यह एचडीएफसी के निधारित नीति के अनुरूप परिवर्तन के योग्य है एवं समय के साथ साथ भिन्न हो सकता है. ग्राहकों को अनुरोध किया जाता है किवे लागु होने वाले नवीनतम प्री-पेमेंट चार्ज के लिए www.hdfc.com पर देखें.

सी. ऋण स्वीकृत/वितरित न होने पर शुल्क वापस नहीं किया जा सकता.

ग्राहक द्वारा दिया गया प्रसंस्करण शुल्क वापसी योग्य है, जो उपरोक्त तालिका में ऋण की विशिष्ट श्रेणियों पर संकेत किए अनुसार न्यूनतम प्रतिधारण राशि के एचडीएफसी द्वारा प्रतिधारण के अधीन है.

९. (ए) संपत्ति का बीमा

उधारकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऋण लंबित रहने के दौरान, संपत्ति भूकंप, आग, बाढ़, विस्फोट, तूफान, आंधी, चक्रवात, नागरिक हंगामे, आदि जैसे सभी जोखिमों से हमेशा विधिवत और उचित रूप से बीमित है. पॉलिसी/पॉलिसियों के अंतर्गत एचडीएफसी को एकमात्र लाभार्थी बनाया जाए.

(बी) उधारकर्ता का बीमा

उधारकर्ता पॉलिसी/पॉलिसियों के अंतर्गत एकमात्र लाभार्थी के रूप में एचडीएफसी से खुद के लिए स्वास्थ्य और / या जीवन बीमा कवर का लाभ उठा सकते हैं.

१०. ऋण के संवितरण के लिए शर्तें

उधारकर्ता द्वारा :

ए. यथा स्वीकृति पत्र / ऋण समझौते में वर्णित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे.

बी. अपने रोजगार / संपर्क विवरण में किसी भी परिवर्तन के बारे में एचडीएफसी को सूचित किया जाएगा.

सी. (यथा एचडीएफसी द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार) लिखित में ऋण के संवितरण के लिए अनुरोध किया जाएगा. इस प्रकार का अनुरोध हाथ, मेल या एचडीएफसी की वेबसाइट (www.hdfc.com) या ऐसे अन्य रूप / तरीके से, जैसा समय–समय पर एचडीएफसी द्वारा घोषित किया जा सकता है, करने पर विधिवत किया गया समझा जाएगा.

डी. यथा स्वीकृति पत्र में वर्णित, ऋण के संवितरण के लिए सभी पूर्व शर्तों का पालन किया जाएगा.

ई. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके पास संपत्ति (प्रतिभूति) का पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व है और उक्त संपत्ति पूर्णतः भार रहित और किसी भी दायित्व से, चाहे जो भी हो, मुक्त है.

एफ. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियाँ पैदा नहीं हुई हैं जो वर्तमान ऋण के ऋण समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करना उधारकर्ता के लिए असंभव बना देंगी.

जी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उधारकर्ता द्वारा निष्पादित/ निष्पादित किए जाने वाले ऋण समझौते के संदर्भ में चूक की कोई घटना नहीं हुई है.

एच. निम्नलिखित शर्तें गृह समता ऋण, गैर आवासीय परिसर ऋण और टॉप–अप ऋणको छोड़कर अन्य सभी ऋणों के लिए लागू होंगी:

उधारकर्ता द्वारा :

(i) यथा स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट, अपनी अंशदान राशि (ऋण राशि को छोडकर फ्लैट की कुल कीमत) का भुगतान किया जाएगा.

(ii) निर्माण में प्रगति / विलम्ब, संपत्ति को हुई किसी भी बड़ी क्षति, करों और सांविधिक लेवी और प्रभारों, जैसा संपत्ति, आदि के संबंध में समय–समय पर लागू हो सकता है, का भुगतान न करने के बारे में विवरणों सहित नियमित रूप से एचडीएफसी को जानकारी प्रदान की जाएगी.

(iii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शुरू किया जा रहा निर्माण कार्य अनुमोदित योजना के अनुसार है और इस बात की संतुष्टि की जाएगी कि परियोजना के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ विकासकर्ता (संपत्ति के पुनर्विक्रय खरीद के मामले में विक्रेता द्वारा) द्वारा प्राप्त कर ली गयी हैं.

(iv) ऋण की राशिके किसी भी पूर्व संवितरण की प्राप्तियों के उपयोग के बारे में एचडीएफसी को संतुष्टकिया जाएगा और उसका पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करवाया जाएगा.

११. बकाए की वसूली के लिए पालन की जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया:

ग्राहकों को ऋण की अवधि, आवधिकता, राशि और पुनर्भुगतान के तरीके के संबंध में पुर्नभुगतान की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है. देय तिथि पर ई.एम.आई / पी.ई.एम.आई का नियमित रूप से भुगतान करने के उसके दायित्व के संबंध में ग्राहक को कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाती है.

देय तिथि तक प्री–ई.एम.आई / ई.एम.आई का भुगतान न करने पर, ग्राहक द्वारा दिए गए पते पर एचडीएफसी द्वारा टेलीफोन कॉल करके, डाक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखित सूचना भेज कर या एचडीएफसी के अधिकृत कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत दौरा करके ग्राहकों को याद दिलाया जाएगा. इस प्रकार के कॉल / संचार / दौरों की लागत ग्राहक से वसूल की जाएगी.

जो कुछ यहाँ कहा गया है वह न होते हुए भी, यह सुनिश्चित करना ग्राहक का दायित्व होगा कि देय तिथि पर प्री–ई.एम.आई / ई.एम.आई का नियमित रूप से भुगतान किया जाए.

किसी भी ग्राहक के खाते से संबंधित क्रेडिट जानकारी मासिक आधार पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) या किसी अन्य लाइसेंस ब्यूरो को प्रदान की जाती है. सिबिल में क्रेडिट इतिहास पर किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि ग्राहक को ऋण राशि पर देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए.

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (सरफेसी अधिनियम) या किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कब्जा लेने और बंधक संपत्ति की बिक्री, सहित, लेकिन तक सीमित नहीं, संबंधित कानूनों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार बंधक / प्रतिभूतियों के प्रवर्तन की वसूली की प्रक्रिया का विशुद्ध रूप से पालन किया जाता है. पर क्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत, सिविल सूट के साथ ही सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत बकाया की वसूली के लिए कदम उठाने से पहले ग्राहक को सूचना / अनुस्मारक / नोटिस दिया जाता है.

१२. वह तिथि जिस पर वार्षिक बकाया राशि विवरण जारी किया जाएगा: ग्राहक के अनुरोध पर.

१३. ग्राहक सेवाएँ

i) दस्तावेजों की आवश्यकता सहित ग्राहक सेवा प्रश्न निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से एचडीएफसी को संबोधित किए जा सकते हैं:

हमारी वेबसाइट www.hdfc.com के माध्यम से हमें लिखें या हमें सूचित करें:

एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी हाउस, एच. टी. पारेख मार्ग, १६५–१६६, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०.

ii) मिलने का समय और एचडीएफसी की सभी शाखाओं के संबंध में ग्राहक सेवा के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का ब्यौरा www.hdfc.com पर उपलब्ध है.

iii) निम्नोक्त के लिए, यथा ऋण आवेदन में वर्णित, काम के घंटों के भीतर अपनी निकटतम शाखा में एचडीएफसी ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करें:

ए. दस्तावेजों की फोटो प्रतियां, जिन्हें अनुरोध करने की तिथि से ७ कार्य दिवसों में प्रदान किया जा सकता है. आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होगा.

बी. ऋण के समापन की तिथि से १० कार्य दिवसों के भीतर मूल दस्तावेज लौटा दिए जाएंगे. यदि दस्तावेजों को दस्तावेज छोड़ने की नियत तिथि से परे एकत्र किया जाएगा, तो आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होंगे.

सी. ऋण खाता विवरण (समय रेखा): अनुरोध प्राप्त होने के ३ कार्य दिवसों के भीतर .

१४. शिकायत निवारण:

ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ उधारकर्ता उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संतुष्ट न हो. ऐसे मामलों पर प्रकाश डालने और शिकायत दर्ज कराने के लिए उधारकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है:

ए) www.hdfc.com पर उधारकर्ता द्वारा कस्टमर केयर से शिकायत की जा सकती है या

बी) संबंधित लेनदेन शाखा के व्यवसाय प्रमुख से उधारकर्ता द्वारा संपर्क किया जा सकता है या उसे लिखा जा सकता है.

सी) यदि चिंता ७ दिन की अवधि से परे भी अनसुलझी बनी रहती है, तो उधारकर्ता द्वारा निम्नांकित पर प्रबंध निदेशक को मामला अग्रेषित किया जा सकता है:

प्रबंध निदेशक,

एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी हाउस, एच. टी. पारेख मार्ग, १६५–१६६, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०.

डी) यदि उधारकर्ता अभी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता द्वारा https://grids.nhbonline.org.in लिंक पर ऑनलाइन मोड में या http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf लिंक पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में डाक द्वारा शिकायत निवारण कक्ष विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक, चौथी मंजिल, कोर ५ ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, एनडी –११००२३ पर भेजकर ऑफलाइन मोड में अपनी शिकायतें दर्ज करवाकर राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है.

एतद द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि ऋण के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, इसके पक्ष उनके द्वारा निष्पादित / निष्पादित किए जाने वाले ऋण और अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों को संदर्भित और पर निर्भर करेंगे. उपरोक्त नियमों और शर्तों को उधारकर्ता / ओं द्वारा पढ़ लिया गया है /एचडीएफसी के

श्री / की श्रीमती ______________________________

द्वारा उधारकर्ता के लिए पढ़ा गया है और उधारकर्ता / ओं द्वारा समझ लिया गया है.

____

(उधारकर्ता / ओं का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

____

(एचडीएफसी के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)